न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 78/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

रोशन कुमार सुरीन – विक्रेता

जिनिद होरो – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
06.07.20		

आदेश

आवेदक रोशन कुमार सुरीन पिता स्व0 सबन सुरीन ग्राम–कदमा, थाना खूँटी जिला खूँटी ने जिनिद होरो पिता श्री कुशल होरो ग्राम–कमन्ता, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कदमा	84	01	522	0.04
			521	0.01½
			513	0.03½
			523	0.05
			520	0.01½
			519/A	0.03
			516	0.03½
			515	0.0½
			519B	0.02½
			517	0.06½
				0.30

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद स0 0637043156 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 165 दिनांक 18.02.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 5363 दिनांक 20.06.87 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम जीरात मलीक लगान पाने वाले ठाकुर महेन्द्र नाथ सहदेव है। पंजी II के अनुसार रोशन कुमार सुरीन के नाम भूमि का रकवा 4.08 एकड है। आवेदक के कुल रकबा 4.08 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 68792.00 (अड़सठ हजार सात सौ बानब्बे)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.78 एकड रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

शपथ पत्र सं0– 138 दिनांक 06.07.2020 के अनुसार जिनिद होरो वर्तमान में अविवाहित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते है। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नही है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रोशन कुमार सुरीन पिता स्व0 सबन सुरीन को जिनिद होरो पिता श्री कुशल होरो के साथ ग्राम कदमा के खाता सं0 01 खेसरा संख्या 522,521,513,523,520,519A,516,515,519A.517 का कुल रकबा 0.30 एकड भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 68792.00 (अड़सठ हजार सात सौ बानब्बे)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

06/07/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

06/07/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।